निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

उद्यान भवन,2–सप्रू मार्ग, लखनऊ। 226 001
Tel. 0522-2623277,4044414 Fax 0522-2621382
email-dirhorti@rediffmail.com

पत्रांक : 953 /बजट–आयोजनागत–2010–11 दिनांक : 21 मई, 2010

संलग्नक में उल्लिखित जनपदों के आहरण संवितरण
अधिकारी एवं जनपदीय अधिकारी।

विषयः– <u>वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये अनुदान सं0 83 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक– 2401–789–07–औद्यानिक विकास कार्यक्रम की योजना में रु0–1,37,50 हजार को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 के लियें अनुदान सं0 83 के अधीन लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–07–औद्यानिक विकास कार्यक्रम की योजना में प्राविधानित धनराशि रू0–2,75,00 हजार के सापेक्ष रू0–1,37,50 हजार (धनराशि रू0–एक करोड़ सैतीस लाख पचास हजार) मात्र जो शासनादेश सं0–369/ 26–ब0प्र0 2010–177/2009 दिनांक 05 मई, 2010 द्वारा अवमुक्त की गई है, का आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार किया जा रहा है। आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग नियमानुसार निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय को आवंटन की सीमा तक नियन्त्रित भी रखें।

1– आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि एस0सी0 एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशो का अनुपालन किया गया है इस आश्य का प्रमाण पत्र कोषगार में धनराशि आहरित करने से पूर्व दिया जायेगा तदोपरान्त धनराशि का आहरण किया जाय।

2– जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अर्न्तगत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

3– अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4– शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

5– सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी एवं आहरण संवितरण अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्रधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल निदेशक/वित्त नियन्त्रक उद्यान के संज्ञान में लाया जाये।

6– भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20.5.10 20/05/10

क्रमशः–2

7– आंवटित की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित ए0सी0एस0पी0 / टी0एस0पी0 के मानक / दिशा निर्देशो के अनुसार किया जाये।

8– उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मानलें को पूर्ण विवरण सहित सूचना निदेशालय को तत्काल दिया जाये।

उपरोक्तानुसार किया जा रहा बजट आंवटन बजट कन्टोल पंजिका के पृष्ठ संख्या ग्यारह पर अंकित है।

संलग्नक–यथोक्त।

(रंजन मिश्र) 20/05/10
वित्त नियंत्रक
20/5/2010

पृष्ठांकन सं0 953 /बजट:आयोजनागत/2010–11 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि– निम्न को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन, उद्यान अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन, बजट प्रकोष्ठ ,समाज कल्याण विभाग, बापू भवन,लखनऊ।
4. सम्बन्धित जनपद के मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी,उ0प्र0।
5. सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी,उ0प्र0।
6. सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक उद्यान।
7. नोडल अधिकारी, औद्यानिक विकास कार्यक्रम योजना,निदेशालय,लखनऊ।
8. आवंटन पत्रावली / गार्ड फाईल।

(रंजन मिश्र) 20/05/10
वित्त नियंत्रक
20/5/2010

पत्र संख्या 953 /बजट आयोजनागत 2010–11 दिनांक– 21-5-10 का संलग्नक।

अनुदान संख्या–83 लेखाशीर्षक–

2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना

07–औद्यानिक विकास कार्यक्रम (धनराशि हजार रुपये में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	27–सब्सिडी	42–अन्य व्यय	योग
1	2	3	4	5
40	हमीरपुर	64.8	7.5	72.3
41	वाराणसी	270.3	7.5	277.8
42	जौनपुर	135.3	7.5	142.8
43	गाजीपुर	135.3	7.5	142.8
44	चन्दौली	135.3	7.5	142.8
45	मिर्जापुर	135.3	7.5	142.8
46	सोनभद्र	135.3	7.5	142.8
47	सन्तरविदासनगर	135.3	7.5	142.8
48	गोरखपुर	270.3	7.5	277.8
49	महराजगंज	308.7	77.5	386.2
50	देवरिया	196.8	7.5	204.3
51	कुशीनगर	196.8	7.5	204.3
52	बस्ती	135.3	7.5	142.8
53	संतकबीरनगर	247.2	7.5	254.7
54	सिद्धार्थ नगर	135.3	77.5	212.8
55	आजमगढ़	258.3	7.5	265.8
56	बलिया	135.3	7.5	142.8
57	मऊ	64.8	7.5	72.3
58	लखनऊ	270.3	7.5	277.8
59	हरदोई	135.3	7.5	142.8
60	लखीमपुर खीरी	196.8	7.5	204.3
61	रायबरेली	135.3	77.5	212.8
62	सीतापुर	135.3	77.5	212.8
63	उन्नाव	270.3	7.5	277.8
64	फैजाबाद	135.3	7.5	142.8
65	बाराबंकी	135.3	77.5	212.8
66	सुल्तानपुर	319.8	7.5	327.3
67	अम्बेडकरनगर	258.3	7.5	265.8
68	गोण्डा	64.8	7.5	72.3
69	बहराइच	135.3	7.5	142.8
70	श्रावस्ती	64.8	7.5	72.3
71	बलरामपुर	135.3	7.5	142.8
72	लैण्ड स्केप आर्किटैक्ट/आहरण संवितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान लखनऊ		127.5	127.5
	योग–	12250.0	1500.0	13750.0

meeting2010-11sheet-scpa

(रु0–एक करोड़ सैतीस लाख पचास हजार मात्र)

(रंजन मिश्रा) 20/05/10

वित्त नियंत्रक।

पत्र संख्या 953 /बजट आयोजनागत 2010–11 दिनांक– 21-5-10 का संलग्नक।

अनुदान संख्या–83 लेखाशीर्षक–

2415–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–07–औद्यानिक विकास कार्यक्रम (धनराशि हजार रुपये में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	27–सब्सिडी	42–अन्य व्यय	योग
1	2	3	4	5
1	सहारनपुर	196.8	7.5	204.3
2	मुजफ्फरनगर	270.3	7.5	277.8
3	मेरठ	331.8	7.5	339.3
4	बुलन्दशहर	270.3	7.5	277.8
5	गाजियाबाद	135.3	7.5	142.8
6	गौतमबुद्धनगर	270.3	7.5	277.8
7	बागपत	135.3	7.5	142.8
8	आगरा	331.8	7.5	339.3
9	मैनपुरी	270.3	7.5	277.8
10	फिरोजाबाद	64.8	77.5	142.3
11	मथुरा	349.8	7.5	357.3
12	अलीगढ़	333.7	77.5	411.2
13	एटा	196.8	77.5	274.3
14	काशीराम नगर	135.3	77.5	212.8
15	हाथरस	64.8	7.5	72.3
16	बरेली	270.3	7.5	277.8
17	पीलीभीत	64.8	7.5	72.3
18	शाहजहाँपुर	135.3	7.5	142.8
19	बदाँयू	135.3	7.5	142.8
20	मुरादाबाद	196.8	7.5	204.3
21	रामपुर	135.3	7.5	142.8
22	ज्योतिबाफुले नगर	126.3	7.5	133.8
23	बिजनौर	135.3	77.5	212.8
24	कानपुर नगर	135.3	7.5	142.8
25	कानपुर देहात	135.3	7.5	142.8
26	इटावा	126.3	7.5	133.8
27	औरैया	135.3	7.5	142.8
28	फर्रूखाबाद	135.3	7.5	142.8
29	कन्नौज	261.3	7.5	268.8
30	इलाहाबाद	270.3	7.5	277.8
31	फतेहपुर	205.8	7.5	213.3
32	प्रतापगढ़	64.8	7.5	72.3
33	कौशाम्बी	135.3	77.5	212.8
34	झाँसी	135.3	7.5	142.8
35	ललितपुर	135.3	7.5	142.8
36	जालौन	135.3	7.5	142.8
37	चित्रकूट	64.8	7.5	72.3
38	महोबा	64.8	77.5	142.3
39	बाँदा	64.8	7.5	72.3

20.5.10 20/5/10